प्रेस विज्ञप्ति
06-02-2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भोपाल आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 05/02/2026 को स्वर्गीय वेद प्रकाश श्रीवास्तव और उनकी पत्नी श्रीमती विभा श्रीवास्तव से संबंधित 02 आवासीय फ्लैट और 22 चल संपत्तियों, जिनमें **लगभग 1.58 करोड़ रुपये** की सावधि जमा और बैंक बैलेंस शामिल हैं, को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है।

ईडी ने सीबीआई, एसीबी, जबलपुर द्वारा स्वर्गीय श्री वेद प्रकाश श्रीवास्तव, तत्कालीन मंडल अभियंता, पश्चिमी रेलवे, राजकोट डिवीजन (गुजरात) और उनकी पत्नी श्रीमती विभा श्रीवास्तव के खिलाफ आईपीसी, 1860 की धारा 109 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) के तहत अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करते हुए अनुपातहीन संपत्ति अर्जित करने के आरोप में दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। इसके बाद, सीबीआई, एसीबी, जबलपुर ने इस मामले में माननीय विशेष न्यायालय, सीबीआई केस, जबलपुर के समक्ष दिनांक 22.05.2023 को चार्जशीट/अंतिम रिपोर्ट संख्या 02/2023 दाखिल की। इस मामले में अपराध से प्राप्त कुल धनराशि लगभग 1.66 करोड़ रुपये है।

ईडी की जांच से पता चला है कि भ्रष्टाचार से प्राप्त बेहिसाब नकदी को पहले बैंकिंग प्रणाली से बाहर रखा गया और दैनिक खर्चों के लिए इस्तेमाल किया गया, जैसा कि बैंक खातों से की गई मामूली निकासी से स्पष्ट होता है। इसके बाद, अपराध से प्राप्त धन का कुछ हिस्सा परिवार के सदस्यों के नाम पर मौजूद बड़ी संख्या में बैंक खातों में जमा किया गया, जिससे धन के लेन-देन का पता लगाना मुश्किल हो गया। बाद में इन निधियों को सावधि जमा, निवेश में परिवर्तित कर दिया गया और इनका उपयोग अचल संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए किया गया, जिसमें आवासीय फ्लैट भी शामिल थे, जो परिवार के उन सदस्यों के नाम पर थे जिनकी आय का कोई स्वतंत्र स्रोत नहीं था।